प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद, बरेली, पीलीभीत, कानपुर नगर,
वाराणसी, झाँसी, बाँदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर,
जालौन, कानपुर देहात, इटावा, मुरादाबाद, रामपुर,
बिजनौर, सहारनपुर, मीरजापुर एवं सोनभद्र।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 07 मार्च, 2017

विषय: प्रदेश के मार्गों पर भारी वाहनों में विशेषकर खनिजों की ओवरलोडिंग के रोक-थाम हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1053/तीस-4-12-8(21)/2010, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 एवं पत्र संख्या-850/23-1-14-28सा0/2014, दिनांक 30.05.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाहनों में ओवरलोडिंग की समस्या पर अंकुश लगाये जाने के निर्दिष्ट उक्त 19 जनपदों में परिवहन विभाग एवं गृह विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

2- संबंधित जनपद जहाँ से खनिज आदि का संचरण अन्य जनपदों में किया जा रहा है, के संबंध में विभिन्न स्रोतों से शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समुचित व प्रभावी अनुश्रवण न किये जाने के फलस्वरूप ओवरलोडिंग की स्थिति परिलक्षित होती है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर भारी वाहनों में विशेषकर खनिजों की ओवरलोडिंग की समस्या पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-850/23-1-14-28सा0/2014, दिनांक 30.05.2014 में निर्दिष्ट 19 जनपदों में परिवहन विभाग, पुलिस एवं जिला प्रशासन तथा भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा संयुक्त टीम बनाकर विशेष अभियान चलाया जाय तथा कृत कार्यवाही की सूचना शासन को एक माह में उपलब्ध करायी जाय।

भवदीया,
(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2017/384(1)/तीस-4-2017-8(91)/13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, संबंधित मण्डल, उ0प्र0।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
5. अपर परिवहन आयुक्त (पश्चिमी, मध्य व पूर्वी) उ0प्र0।
6. संबंधित उप परिवहन आयुक्त।
7. संबंधित सम्भागीय परिवहन अधिकारी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।